

**फार्म 1**  
**FORM 1**  
**[नियम 53 (1) देखें]**  
**[See Rule 53 (1)]**

**सेनानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान के लिए**  
**Nomination for Retirement Gratuity/Death Gratuity**

(जब अंशदायी का परिवार हो और वह उनमें से किसी एक अथवा एक से अधिक सदस्य को नामित करना चाहता हो।)  
(When the Government servant has a family and wishes to nominate one member or more than one member, thereof.)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी....., एतद् द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं को नामित करता हूँ तथा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक, कोई भी उपदान प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जिसका भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्राधिकृत की जाए तथा मेरी मृत्यु हो जाने पर नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक, कोई भी उपदान प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरी सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो तथा जिसका मेरी मृत्यु के समय भुगतान शेष हो:-

I,....., hereby nominate the person/persons mentioned below who is/are member(s) of my family, and confer on him/them the right to receive, to the extent specified below, any gratuity the payment of which may be authorized by the Central Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death--

मूल नामिती (Original Nominee(s))				वैकल्पिक नामिती (Alternate Nominee(s))	
Names and addresses of nominee/nominees नामिती/नामितियों का/के नाम और पता	Relationship with the Government servant अंशदायी के साथ संबंध	Age आयु	Amount or share of gratuity payable to each प्रत्येक नामिती को देय उपदान का भाग अथवा राशि	Name, address, relationship and age of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the Government servant or the nominee dying after the death of the Government servant but before receiving payment of gratuity. उस व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, पते संबंध तथा आयु जिन्हें सरकारी कर्मचारी से पहले नामिती की मृत्यु हो जाने पर अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् परंतु उपदान का भुगतान प्राप्त करने से पहले नामिती की मृत्यु होने पर नामिती का अधिकार दिया जायेगा	Amount or share of gratuity payable to each प्रत्येक नामिती को देय उपदान का भाग अथवा राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

यह नामांकन मेरे द्वारा दिनांक.....को किए गए नामांकन का अधिकरण करता है तथा उसे रद्द किया जाता है। (This nomination supersedes the nomination made by me earlier on.....which stands cancelled.)

नोट (i) सरकारी कर्मचारी को आखिरी प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर रेखाएं खींच देनी चाहिए जिससे कि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् और किसी नाम की प्रविष्टि न की जा सके। (Note (i) The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.)

(ii) जो लागू न हो उसे कर दें। (ii) Strike out which is not applicable.)

दिनांक.....दिन.....माह.....को स्थान.....

(Dated this.....Day of.....20.....at .....

दो गवाहों के हस्ताक्षर (Witnesses to signature):-

- 1.
- 2.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर  
(Signature of Government servant)

(कार्यालय अध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा)  
**(To be filled by the Head of office)**

नामांकन द्वारा(Nomination by).....

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(Signature of Head of office)

पदनाम (Designation).....

दिनांक (Date):.....

कार्यालय(Office).....

पदनाम(Designation).....